



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में आर्म्स एक्ट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी कुलदीप को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कारावास व 2500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त कुलदीप पुत्र श्याम सुन्दर निवासी ग्राम माजराकला थाना महेन्द्रगढ़ जनपद महेन्द्रगढ़ हरियाणा द्वारा आर्म्स एक्ट व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 373/2023 धारा 452/376/506 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.08.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कुलदीप को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त कुलदीप को धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 20.08.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 05 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई लोहे की जाली वजन करीब 02 क्विंटल, लोहे की ऐंगल वजन करीब 04 क्विंटल, चोरी की घटना में प्रयुक्त 04 लोहा काटने के आरी ब्लेड, 01 प्लास, टाटा एस नं0 DL-1LAB-4017 व 01 मो0सा0 हीरो स्प्लैन्डर नं0- UP-17Y-7168 बरामद।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 19-08-2024/20.08.2024 की रात्रि में (ईस्टर्न पैरिफेरल) हाईवे नियर ग्राम



बसी के किनारे लगे लोहे की जाली एवं ऐंगल की चोरी करने वाले 05 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है।



जिनके कब्जे से चोरी की हुई लोहे की जाली वजन करीब 02 क्विंटल, लोहे की ऐंगल वजन करीब 4 क्विंटल, चोरी की घटना में प्रयुक्त 04 लोहा काटने के आरी ब्लेड, 01 प्लास, टाटा एस नं0 DL-1LAB-4017 व 01 मो0सा0 हीरो स्प्लैन्डर नं0- UP-17Y-7168 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 257/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रोहित उर्फ फिरे पुत्र हरीराम निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-संदीप पुत्र हरीराम निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-बोबी पुत्र जयकरण निवासी ग्राम पियावली थाना जारचा जनपद गौतमबुद्ध नगर ।

- 4-आकाश पुत्र पप्पू निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
5-सलाउद्दीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- लोहे की जाली वजन करीब 02 क्विंटल ।
- लोहे की ऐंगल वजन करीब 04 क्विंटल ।
- 04 लोहे काटने वाले आरी ब्लेड ।
- 01 प्लास ।
- घटना में प्रयुक्त टाटा एस नं0 DL-1LAB-4017
- घटना में प्रयुक्त मो0 सा0 हीरो स्प्लेन्डर नं0- UP-17Y-7168

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मय उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 नरेशपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-का0 555 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 7-का0 1021 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 8-का0 349 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 71 हरगोविन्द थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 10-हो0गा0 632 आदेश त्यागी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 11-हो0गा0 614 राजू थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 20.08.2024

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-वेदू पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मनीष पुत्र रामकुमार लुहार निवासी गुराना रोड़ कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 65 महिपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक- 20.08.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 496/24 धारा 140(1)/238/103(1) BNS का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्यारोपी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर मृतक का शव, आलाकत्ल 01 फावडा, मृतक के कपडे, मृतक का मोबाइल फोन, मृतक का मूल निवास प्रमाण पत्र बरामद ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 21.07.2024 को थाना बडौत पर वादी रवि पुत्र विनोद निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसका भाई रोहित 10.07.2024 को बिना बताये घर से कहीं चला गया है, जिसकी काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 496/24 धारा 140/(3) BNS पंजीकृत किया गया ।



नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्तों की निशादेही पर मृतक रोहित का शव, आलाकत्ल 01 फावडा, मृतक के कपडे, मृतक का मोबाइल फोन, मृतक का मूल निवास प्रमाण पत्र नहर पटरी ककडीपर थाना रमाला से बरामद किया गया है तथा

उपरोक्त धारा 140(3) BNS से धारा 140(1)/238/103(1) BNS में तस्मीम किया गया है।


कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 496/24 धारा 140(1)/238/103(1) BNS का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्यारोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर मृतक का शव, आलाकत्ल 01 फावडा, मृतक के कपडे, मृतक का मोबाइल फोन, मृतक का मूल निवास प्रमाण पत्र बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- मृतक का शव ।
- आलाकत्ल 01 फावडा ।
- मृतक के कपडे ।
- मृतक का मोबाइल फोन ।
- मृतक का मूल निवास प्रमाण पत्र ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.राजीव पुत्र जगमेर निवासी ग्राम मलकपुर पट्टी रावण थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-दिनेश पुत्र हवा सिंह निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

- 3-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
4-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
5-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
6-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
7-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनाँक – 20.08.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 230/24 धारा 303(2) BNS में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ ई- रिक्शा तथा चोरी किये हुए ई-रिक्शे की बैट्री बेचकर प्राप्त रुपये में से 900 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 19.08.24 को थाना रमाला पर वादी बारू पुत्र वेदू निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि ग्राम वासौली नहर से अभियुक्त मल्लू पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम वासौली थाना रमाला जनपद बागपत व 01 अज्ञात चोर ने वादी का ई-रिक्शा चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 230/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 230/24 धारा 303(2) BNS में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ ई- रिक्शा तथा चोरी



किये हुए ई- रिक्शे की बैट्री बेचकर प्राप्त रुपये में से 900 रुपये नगद बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मल्लू पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त मल्लू का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु.अ.सं. 15/23 धारा 136 विधुत अधि० थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु.अ.सं. 36/23 धारा 380/427 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-मु.अ.सं. 63/23 धारा 379 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-मु.अ.सं. 75/23 धारा 379 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-मु.अ.सं. 115/23 धारा 379/380/411 भादवि व 25/3/4 ए एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6- मु.अ.सं. 230/24 धारा 303(2) BNS थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ ई-रिक्शा नं० UP-17BT-5584
- चोरी किये हुए ई- रिक्शे की बैट्री बेचकर प्राप्त रुपये में से 900 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 677 जितेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 263 मौ० आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।